न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–78 सन् 2021

ध्रुव कुमार पाण्डेय व अन्य.....................वादीगण

बनाम

पृथ्वी गुप्ता.......................................प्रतिवादी

दिनांक– 18.04.2022

वादी की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 10.01.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वादपत्र के अंदर मे वंशावली वादी के परिवार की दी गई। जिसमें भूलवश राज नारायण पाण्डेय पिता का नाम श्यामधर पाण्डेय की जगह अकलू पाण्डेय दर्ज हो गया है जिसें न्यायहित में संशोधन करना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन बिल्कुल ही सामान्य प्रकृति का है इससे वादपत्र के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अतः निवेदन है कि वादपत्र में आवेदन में लिखित बातों को संशोधित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी वाद प्रतिवादीगण की उपस्थित हेतु नियत चला आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पोषणीय है। अतः न्यायाहित में

वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 10.01.2022 को 500/– रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि नजारत में जमा कर वादपत्र में संशोधन करें।

वाद दिनांक 05.05.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।